



५१२१

प्रमाण 2286709
2286710

नव घटना कन्द्र ३० अशोक मार्ग लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : २७७०/०५/७६/एफ/२०१५-१६

दिनांक २३ अक्टूबर २०१५

सेवा में

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद-वाराणसी।

पिष्य :

वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या- 37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	436302011003175	II SC Code LIBIND358516	35.837 ✓
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० स०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्सी/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	वाराणसी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नी० वाराणसी	मोहल्ला रारायसुर्जन, कुनिया एवं रारायनन्दन मुरिलम बाहुल्य वर्सी में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	9.837
2	वाराणसी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नी० वाराणसी	मोहल्ला आजाद कालेनी खजुरी मुरिलम बाहुल्य मलिन वर्सी में जल निकासी एवं गली निर्माण कार्य।	4.641
3	वाराणसी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नी० वाराणसी	मोहल्ला पुलकोहना मुरिलम बाहुल्य मलिन वर्सी में जल निकासी एवं गली निर्माण कार्य।	14.057
4	वाराणसी	मलिन वर्सी-83 बजट	न०नी० वाराणसी	मो० रामनगर में वारीगढ़ी मलिन वर्सी में जल निकासी एवं गली निर्माण कार्य।	7.302
योग					35.837 ✓

उपरोक्त अवगुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में सी०सी० रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ली०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

- उम्प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में सी०सी० रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ली०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।
- स्थानीय रतर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जायें।
- अवगुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानात्मक कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रखीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिधि में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय रतर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वायदा के अन्तर्गत यदि कोई रखीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, गुणिश्चित किया जाये। ✓



५१२/२

दूसरा 2286709
2286710

नव लोताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- प्रश्नगत परियोजनाओं में खीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रखा-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियान को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अधिक के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियान को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित रार्टा/योजना के प्रतिवर्द्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं खीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय कर्ता की स्त्रीत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह खीकृत की गई है। किसी अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियान मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लला प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतोलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, रूड़ा।।।।
- अधिकारी अधियन्ता-सूडा
- कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग-सूडा।

(लला प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक